UPPG010047192026

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (ई.सी.एक्ट), प्रतापगढ़।
पीठासीन अधिकारी– अंकिता दुबे ,एच 0 जे0 एस 0– UP–1713
अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या– 1943/2026

यशोदा देवी उर्फ गुड्डा उम्र लगभग 46 वर्ष पत्नी फूलचंद्र निवासी रामगढ़ केवटान, थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़ ।

..आवेदिका/अभियुक्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

...अभियोगी

मु0 अ 0 सं0–279/2026
धारा– 115(2), 117(3), 118(1),
352 बी.एन.एस.
थाना–रानीगंज, जनपद– प्रतापगढ़ ।

दिनांक 20.07.2026

1. आवेदिका/अभियुक्ता **यशोदा देवी उर्फ गुड्डा** की ओर से यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र मु०अ०सं०– 279/2026, धारा– 115(2), 117(3), 118(1), 352 बी.एन.एस. थाना–रानीगंज, जिला–प्रतापगढ़ के अभियोग में प्रस्तुत किया गया है।

2. **संक्षेप में अभियोजन** कथानक के अनुसार घटना दिनांक 25–06–2026 ई० को समय लगभग सुबह 6 बजे की है। प्रार्थी के खेत से विपक्षीगण बेहन निकालने लगे तो प्रार्थी ने मना किया तो गाँव के अजय कुमार व बृजेश उर्फ बच्चा सुतगण फूलचन्द्र व गुड्डा पत्नी फूलचन्द्र एकराय एकजुट होकर माँ–बहन को भद्दी–भद्दी गालियाँ देते हुए लाठी डण्डा, हंसिया व गहदाला लेकर प्रार्थी के ऊपर हमलावर हो गये तो प्रार्थी का सर फट गया। प्रार्थी जमीन पर गिर गया। प्रार्थी की पत्नी निशा देवी व माता शान्ति देवी छुड़ाने पहुँची तो उक्त लोग लाठी डण्डा व गहदाला से बुरी तरह से मारने लगे जिसे प्रार्थी की पत्नी के दान्त सभी टूट गये व होठ फट गये और प्रार्थी की माता का बायाँ हाथ टूट गया है। शोर शराबा सुनकर परिजन व गाँव के लोग पँहुचे तो उक्त लोग मौके से चले गये। घटना की सूचना 112 नं0 पर दी गयी मौके पर पुलिस पहुँची तो एम्बुलेंस से सभी घायलों को ट्रामा सेण्टर लाया गया, जहां इनका इलाज चल रहा है। अन्त में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किये जाने की याचना की गयी है।

3. **अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र** में यह आधार लिया गया है कि प्रार्थिनी की ओर से माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत यह प्रथम अग्रिम जमानत आवेदन पत्र है। उक्त राहत के लिए माननीय न्यायालय के अतिरिक्त माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद खंडपीठ लखनऊ के समक्ष कोई याचिका दायर नहीं है और न ही लंबित है और न ही निस्तारित हुई है। कथित घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट अत्यंत विलम्ब से (16 घण्टे) बाद कानूनी राय मशविरे से असत्य आधारों

Digitally signed by ANKITA DUBEY
Date: 2026.07.20 16:26:57 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

पर फर्जी ढंग थाना हाजा की पुलिस की मिलीभगत से पंजीकृत कराई गई है। कथित घटना का कोई भी स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जनसाक्षी नहीं है। प्रार्थिनी पूर्णतः निर्दोष है तथा उसे पारिवारिक जमीनी रंजिश के कारण झूठा फँसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में प्रार्थिनी के विरुद्ध केवल सामान्य एवं सामूहिक आरोप लगाए गए हैं किसी विशिष्ट चोट अथवा विशिष्ट कृत्य का आरोप नहीं है। अतः अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाये।

4. आवेदिका/अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र के संदर्भ में यह कथन किया गया कि अभियुक्ता ने कोई अपराध कारित नहीं किया है। फर्जी तरीके उसे अभियुक्त बनाया गया है। कथित घटना का कोई भी स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जनसाक्षी नहीं है और जमानत दिये जाने का निवेदन किया गया है।

5. **जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी)** द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा को भद्दी–भद्दी गालियां देते हुए लाठी, डण्डा, हंसिया व गहदाला से जान से मारने की नियत से लाठी, डण्डा व कुल्हाड़ी से मार कर चोट पहुचाने का आरोप है। जिससे वादी का सर फट गया। बीच बचाव करने आई उसकी पत्नी व मां को भी मारा पीटा। अभियुक्त का यह अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया गया तो वह पुनः समान प्रकृति का अपराध कारित करेगा और साक्षियों को प्रभावित कर सकता है। अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

6. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना एवं प्रपत्रों का अवलोकन किया।

7. **प्रथम सूचना रिपोर्ट व केस डायरी के अवलोकन से विदित होता है कि** आवेदक/अभियुक्त द्वारा सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा को भद्दी–भद्दी गालियां देते हुए लाठी, डण्डा, हंसिया व गहदाला से मार पीट कर चोट पहुचाने का आरोप है। जिससे वादी का सर फट गया। बीच बचाव करने आई उसकी पत्नी व मां को भी मारा पीटा। आघात आख्या में चुटहिल विजय कुमार पटेल को 2 चोटें दर्शित हैं। नीशा देवी का आघात आख्या के अनुसार उसे 6 चोटें आना दर्शित हैं, जिसमें इन्जरी की संख्या 3, 4 व 5 का एक्स–रे की सलाह दी गई है। आख्या के अनुसार निचले मसूड़े में कटा हुआ घाव है। दांत टूटे हुए हैं तथा रक्तस्राव पाया गया। शांती देवी की आघात आख्या के अनुसार उसे 3 चोटें हैं, जिसमें से चोट संख्या 1 को एक्स–रे की सलाह दी गई है। रिपोर्ट में हांथ में फ्रैक्चर है। चिटहिलों को आई चोटें गंभीर प्रकृति की हैं।

8. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जय प्रकाश सिंह बनाम स्टेट आफ बिहार, ए.आई.आर. 2012 सुप्रीम कोर्ट 1676 में निम्न विधि प्रतिपादित की गयी हैः–

"13. There is no substantial difference between Section 438 and 439 Cr.P.C. so far as appreciation of the case as to whether or not a bail is to be granted, is concerned. However, neither anticipatory bail nor regular bail can be granted as a matter of rule. The anticipatory bail being an extraordinary privilege should be granted only in exceptional cases.

The judicial discreation conferred upon the court has to be properly exercised after proper application of mind to decide whether it is a fit case for grant of anticipatory bail.

अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितयों व मामले की गम्भीरता को देखते हुये अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त **यशोदा देवी उर्फ गुड्डा** द्वारा मु०अ०सं०– 279/2026, धारा– 115(2), 117(3), 118(1), 352 बी.एन.एस. थाना–रानीगंज, जिला–प्रतापगढ़ में प्रस्तुत **अग्रिम** जमानत प्रार्थना पत्र **खारिज** किया जाता है।

दिनांक–20.07.2026

(**अंकिता दुबे**)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश(ई.सी.एक्ट)/
प्रतापगढ़।

विकाश प्रभाकर/स्टेनो